

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 1818 / प्रवेश / 2018


भोपाल दिनांक 07/7/18

// -आदेश- //

काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न स्तरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह तथ्य ध्यान में आया है कि काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से यह शपथ-पत्र लेना आवश्यक हो गया है, कि उनके द्वारा किसी अन्य प्रदेश में मूल निवासी/स्थायी निवासी के आधार पर लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 की धारा 2 घ एवं धारा 18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 09 मार्च 2018 में अधिसूचित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में संलग्न अनुसूची -3 (प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज) के बिन्दु क्रमांक 11 के उप क्रमांक (V) के उपरांत उप क्रमांक (Vi) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :-

“मध्यप्रदेश राज्य के अलावा अन्य राज्य से मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने का लाभ नहीं लिये जाने संबंधी शपथ पत्र”।

  
07.07.18  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश  
